



तत् त्वं पूनन् अपावृणु  
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

# केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN  
18 संस्थानिक क्षेत्र (Institutional Area)

शहीद जीत सिंह मार्ग, Shaheed Jeet Singh Marg  
नई दिल्ली / New Delhi – 110016

Website: [www.kvsangathan.nic](http://www.kvsangathan.nic)

SPEED POST

F. 11058-प्र.स्ना.शि./2019/केविसं-मु./आर0पी0एस0/5648-57

दिनांक - 04.12.2019

## कार्यालय - आदेश

सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निम्नलिखित प्र0स्ना0 शिक्षकों को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के पत्र सं.एफ.5-180/86-यूटी-1 दिनांक 12.08.1987, 03.11.1987 एवं 06.02.1989 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार ₹.15600-39100/- एवं ₹.5400/- के ग्रेड पे के साथ चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है बशर्ते कि उन्होंने प्र.स्ना.शिक्षक के पद पर प्राप्त वरिष्ठ वेतनमान पर 12 वर्ष की सेवाएं पूर्ण की हों तथा वह चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उसी पद पर कार्यरत हों। यदि उन्हें कभी भी, किसी भी कारण वश चयनित वेतनमान हेतु अयोग्य पाया जाता है तो इस आदेश को वापिस ले लिया जाएगा तथा चयनित वेतनमान पर आहरित की गई राशि उनके द्वारा के0वि0स0 को वापिस लौटाना होगी।

संबंधित प्र.स्ना.शिक्षकों का चयनित वेतनमान पर वेतन निर्धारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर लागू विस्तृत नियम-22 (1)(ए)(2) के प्रावधानों के अनुसार ही नियत किया जाएगा। तदनुसार उनके पास विकल्प हैं—(1) नए वेतनमान में अपना वेतन चयनित वेतनमान देय तिथि से नियत करवा लें या (2) अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी वेतन-वृद्धि की तारीख से नियत करवा लें। यदि संबंधित शिक्षक अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी अगली वेतन-वृद्धि की तारीख से नियत करने का विकल्प लेता है तो उनका वेतन उसी चरण पर नियत किया जाएगा, यदि वह चरण उपलब्ध हो या पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में सामान्य वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करते हुए चयनित वेतनमान पर अगला चरण उपलब्ध हो (i.e. in case, the individual opts for fixation of his/her pay w.e.f. the date of his/her next increment in the Senior Scale of the old post, his/her pay will have to be fixed at the same stage if the same stage is available or the next stage in the selection scale after allowing normal increment in the senior scale of the old post.) वेतन निर्धारण का विकल्प संबंधित प्राचार्य को इस आदेश की प्राप्त होने के तिथि से एक महीने के भीतर प्रस्तुत करना होगा तथा इस संदर्भ में जो भी विकल्प प्र.स्ना.शिक्षक द्वारा दिया जाएगा वह अंतिम होगा। संबंधित प्र.स्ना.शिक्षकों के विवरण निम्नानुसार है - प्र0स्ना0शिक्षक-पे बैंड-3 (₹.15600-39100) एवं ग्रेड पे ₹.5400/-

क्रम सं0	दर्शयता क्रमांक	प्र.स्ना.शिक्षक का नाम	के0वि0 का नाम	प्र.स्ना.शिक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि	प्र.स्ना.शिक्षक के पद पर वरिष्ठ वेतनमान तिथि	चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि
1	4985	सुश्री सुनीता गुप्ता Ms. Sunita Gupta TGT-SKT	सराईखास SARAIKHAS	10.10.1984	10.10.1996	10.10.2008
2	537	श्रीमती सावित्री गोयल SMT SAVITRI GOEL TGT(MATH)	डी एल मेरठ DL MEERUT	04.01.1986	04.01.1998	03.01.2016*
3	794	श्रीमती अंबुजा कुलकर्णी MS AMBUJA KULARNI TGT HINDI	पिकेट हैदराबाद PICKET HYD.	03.09.1986	03.09.1998	03.09.2010
4	1145	श्री आर मुरलीकृष्ण SH R MURLIKRISHAN TGT-SKT	तनाली TENALI	04.09.1987	07.09.1999	07.09.2011

5	1433	सुश्री शफाली शर्मा MS SHAFALI SHARMA -TGT ENG	एएफएस देवलाली AFS DEVLALI	07.08.1987	07.08.1999	13.06.2013*
6	269	श्री एस ए के एम एस जैदी SH S.A.K.M.S. ZAIDI TGT - WET	जेएलए बरेली JLA BAREILLY	22.07.1975	22.07.1987	01.01.2004 (due to 20%)
7	374	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा SMT MEENAKSHI SHARMA - TGT-WET	ग्रेटर नोएडा GR. NOIDA	22.12.1986	22.12.1998	22.12.2010

नोट: (\*) चयनित वेतनमान 21 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण समाप्त करने की तिथि के अगले दिन से स्वीकृत

( डॉ. वी. विजयालक्ष्मी )  
संयुक्त आयुक्त ( प्रशासन )

प्रतिलिपि प्रेषित -

- 1 उपायुक्त, के.वि.सं. क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़, आगरा, हैदराबाद मुंबई एवं लखनऊ को सूचनार्थ । उनसे निवेदन है कि वे अपने क्षेत्रीय कार्यालय के संबंधित प्राचार्य एवं शिक्षक को आदेश की प्रतिलिपि प्रेषित करें ।
- 2 उपायुक्त (शैक्षिक एवं ईडीपी ) को इस निवेदन के साथ कि वे इस कार्यालय आदेश को के0वि0सं0 मु0 की वेब साइट में अप-लोड करें ।
- 3 प्राचार्य, संबंधित केन्द्रीय विद्यालय को इस निर्देश के साथ कि वे -  
क- चयनित वेतनमान प्रदान करने से पहले आदेश में संबंधित शिक्षक के दिये गए विवरण उनके सेवा रिकार्ड से जांच लिए जाए । यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित शिक्षक की पदोन्नति की तिथि उनके चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि से पूर्व न हों । कोई भी त्रुटि पाए जाने पर आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करें ।  
ख - संबंधित शिक्षक से प्रोफोर्मा में वचनबंध - तीन प्रति- ले ली जाएं जिसकी एक प्रति उसके सेवा-पुस्तिका, दूसरी प्रति उसके व्यक्तिगत-मिसिल तथा तीसरी प्रति संबंधित संभागीय कार्यालय को सूचनार्थ अग्रेषित की जाए ।  
ग-इस आदेश को प्रभावित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि (1) संबंधित शिक्षक के खिलाफ कोई सतर्कता मामला/विभागीय कार्रवाई लंबित ना हो और (2) संबंधित शिक्षक ने चयनित वेतनमान देय तिथि से पिछले 06 वर्षों में 21 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण ग्रहण किया हो ।  
घ-अन्य विवरण जैसे के वि का नाम, पदभार ग्रहण तिथि, वरिष्ठ वेतनमान देय तिथि भी जांच ली जाएं ।